

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—48/2024 विविध

भादरगिर पुत्र स्व० श्री रूपगिर, आयु 69 वर्ष जाति गोस्वामी, निवासी अरड़की, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ गोपाललामी स्वर्णकार महोदय, आर.ए.एस. जिला हनुमानगढ़।
2. आशादेवी धर्मपत्नी टीकमचन्द जाति सिंधी निवासी नोहर हाल आबाद दिल्ली जरिये मुख्त्यारआम लखमीचंद पुत्र श्री बालचंद जाति सिंधी निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व), नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू-राजस्व अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने अपील सं. 34/2022 शीर्षक भादरगिर बनाम आशादेवी आदि, न्यायालय अति. जिला कलक्टर, नोहर।



उपरिस्थित:—1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता—प्रार्थी।

2. श्री सत्यनारायण कायल अधि.—अप्रार्थी सं. 02।

3. श्री शिवराज सिंह राज. अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—22.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2022 जिसके अन्तर्गत कतई गलत व विधि विरुद्ध तथा एकपक्षीय तौर पर टीकमचंद के वारिसों के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध दिनांक 19.07.2022 को अपील प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने 55 वर्ष पुराने बैयनामा के आधार पर कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना जल्दबाजी में उक्त आदेश दिनांक 15.07.2022 पारित किया। प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रार्थी के पिता रूपगिर द्वारा सन् 1977 में न्यायालय उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2011 से निरंतर कब्जा काश्त में होने व सम्वत् 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से अपने अधिकारों के संबंध में प्रस्तुत किया था। यह वादपत्र दिनांक 16.06.1978 को डिक्री किया तथा रूपगिर के नाम इंतकाल दर्ज हुआ व रूपगिर के देहान्त उपरान्त प्रार्थी व स्व० रूपगिर के वारिसों के नाम भूमि दर्ज चली आ रही है तथा उन्हीं के कब्जा काश्त में है। इस प्रकार एक सक्षम न्यायालय की डिक्री से यह भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हुई है। उक्त निर्णय दिनांक 16.06.1978 अपील में अपास्त होने व प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद खारिज हुआ लेकिन धारा 144 सीपीसी के अंतर्गत राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति आज तक बहाल नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 3 ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना इंतकाल आदेश दिनांक 15.07.2022 दर्ज करने का आदेश पारित करने पर इस आदेश के विरुद्ध सुदृढ आधारों पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष उक्त शीर्षक की अपील प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उसका स्थानीय विधायक के साथ उठ बैठ है तथा स्थानीय विधायक व अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बना रखा है तथा प्रार्थी के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है तथा अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 पर शीघ्र निर्णय करने का दबाव बनाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र 6 दिन की तारीख दी। प्रार्थी ने दिनांक 11.03.2024 को अपना नया अधिवक्ता नियुक्त किया

9

तथा नवनियुक्त अधिवक्ता ने बहस की तैयारी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे इस पत्रावली का दिनांक 18.03.2024 को निर्णय कर देंगे। प्रार्थी को इन परिस्थितियों में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के मुखत्यारआम ने एलानिया कहा कि वह शीघ्र ही इस अपील का निर्णय अपने पक्ष में करवा लेगा। प्रार्थी को युक्तियुक्त आशंका है कि अतिरिक्त जिला कलैक्टर, नोहर राजनैतिक दबाव में आकर निर्णय पारित करेंगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर, नोहर के समक्ष लम्बित अपील संख्या 34/2022 शीर्षक भादरगिर बनाम आशादेवी आदि को उक्त न्यायालय से स्थानान्तरित कर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में या अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 02 द्वारा दिनांक 21.05.2024 को प्रार्थना पत्र मय माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 7097/2024 बअनवानी आशादेवी बनाम अति. जिला कलक्टर, नोहर में दिनांक 06.05.2024 को पारित आदेश की फोटोप्रति पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है जिसके अनुसार अति. जिला कलक्टर, नोहर को इस आदेश की पालना हेतु निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर उक्त पत्रावली का जल्दी से जल्दी निर्णय पारित करे। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं. 02 जरिये लिखमीचन्द अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, नोहर को निर्णय की पालना हेतु आदेशित किया जावे एवं विचाराधीन उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र भादरगिर बनाम अति. जिला कलक्टर, नोहर आदि को इस स्तर पर ही खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 01 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 01 पर कोई राजनैतिक दबाव नहीं है। तारीख पेशी अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन करने पर एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से निर्धारित की गई। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 02 द्वारा निर्णय करने बाबत कोई बात नहीं कही गई क्योंकि न्यायालय द्वारा विधि अनुसार नियम प्रक्रिया का पालन कर निर्णय किया जाता है। किसी प्रकार के दबाव में आकर निर्णय नहीं किया जा रहा है। न्यायालय में जैरकार प्रकरणों में विधि अनुसार प्रक्रिया का पालन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित में तथ्य निराधार एवं मनगढंत है जिनमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उसका स्थानीय विधायक के साथ उठ बैठ है तथा स्थानीय विधायक व अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बना रखा है तथा प्रार्थी के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है तथा अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 पर शीघ्र निर्णय करने का दबाव बनाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र 6 दिन की तारीख दी। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे इस पत्रावली का दिनांक 18.03.2024 को निर्णय कर देंगे। प्रार्थी को इन परिस्थितियों में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के मुखत्यारआम ने एलानिया कहा कि वह शीघ्र ही इस अपील का निर्णय अपने पक्ष में करवा लेगा। प्रार्थी को युक्तियुक्त आशंका है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर राजनैतिक दबाव में आकर निर्णय पारित करेंगे। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं. 02 द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीपक्ष नं. 02 किसी प्रकार के राजनितिक नहीं है ना ही उनका अप्रार्थी सं. 01 पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव है ना ही वे पीठासीन अधिकारी के रिस्तेदार है। केवल 6 दिन की पेशी पत्रावली बहस की स्टेज पर होने का कारण दी गई थी ताकि न्यायालय सुनकर जो भी विधि सम्मत आदेश हो, पारित कर सके। प्रार्थी प्रकरण को महज लम्बा करना चाहता है व सुनवाई नहीं होने देना चाहता है। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 7097/2024 बअनवानी आशादेवी बनाम अति. जिला कलक्टर, नोहर में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 की पालना करवाई जावे और मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।



R

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये हैं वे झूठे व निराधार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 व 2 पर जो आरोप लगाये गये हैं, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या हैं। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमान जी माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 7097/2024 बअनवानी आशादेवी बनाम अति. जिला कलक्टर, नोहर में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 की पालना करवाई जानी उचित हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू-राजस्व अधिनियम, अपील सं. 34/2022 शीर्षक भादरगिर बनाम आशादेवी आदि, न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा उसका स्थानीय विधायक के साथ उठ बैठ है तथा स्थानीय विधायक व अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बना रखा है तथा प्रार्थी के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है तथा अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 पर शीघ्र निर्णय करने का दबाव बनाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र 6 दिन की तारीख दी, प्रार्थी के कथन उचित प्रतीत नहीं होते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अपर जिला कलक्टर, नोहर की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार अप्रार्थी सं. 01 पर कोई राजनैतिक दबाव नहीं है। तारीख पेशी अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन करने पर एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से निर्धारित की गई। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 02 द्वारा निर्णय करने बाबत कोई बात नहीं कही गई क्योंकि न्यायालय द्वारा विधि अनुसार नियम प्रक्रिया का पालन कर निर्णय किया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 7097/2024 बअनवानी आशादेवी बनाम अति. जिला कलक्टर, नोहर में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 अनुसार अपर जिला कलक्टर, नोहर को उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण का छः सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिए न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की अवहेलना होगी और विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। अपर जिला कलक्टर, नोहर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार निर्धारित समयसीमा में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अपर जिला कलक्टर, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलक्टर
हनुमानगढ़